



# दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर

पत्र संख्या : 1322 / कमेटी / 2019

दिनांक : 18-07-2019

सेवा में,

प्राचार्य,  
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,  
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

महोदय,

कृपया शिक्षा निदेशक (उ0शि0), डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के संलग्न पत्र संख्या-डिग्री विकास/261/2019-20 दिनांक 11.07.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करे जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के धारा 3,4,6,7,16,17,19,20,21,22,23,28,29,30,31,32,33,34,38,39,44,45,47,76,81,89,90,91,92,93,94,95 विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अनुपालन किये जाने एवं अनुपालन आख्या को वेबसाइट पर अपलोड कराने के साथ उच्च शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है।

अतः आपसे अनुरोध है कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के धारा 3,4,5,7,16,17,19,20,21,22,23,28,29,30,31,32,33,34,38,39,44,45,47,76,81,89,90,91,92,93,94,95 का महाविद्यालय में अनुपालन किये जाने एवं अनुपालन आख्या को वेबसाइट पर अपलोड कराने के साथ ही अनुपालन आख्या अद्योहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उच्च शिक्षा निदेशालय को उक्त से अवगत कराया जा सके।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रो0 हिमांशु चतुर्वेदी, संयोजक, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 आचार्य, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, दी0द0उ0गो0वि0, गोरखपुर।
2. प्रभारी, सम्बद्धता अनुभाग, दी0द0उ0गो0वि0, गोरखपुर।
3. प्रभारी, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित की उक्त पत्र के साथ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 को समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय के कालेज लागिन पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
5. प्रभारी, सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. वै0स0 कुलसचिव।

3/2  
कुलसचिव  
Bny

RPWD Act 2016  
Right of Person with Disabilities Act 2016  
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 49)

[27 दिसम्बर, 2016]

दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अधिसूचन और  
उनमें संबंधित या उनके आनुवंशिक विषयों की  
संभाव्य बनाने के लिए  
अधिनियम

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, 13 दिसम्बर, 2006 को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर उनके अधिसूचन को  
अंगीकृत किया था;

और पूर्वोक्त अधिसूचन दिव्यांगजनों के सशक्तकरण के लिए निम्नलिखित सिद्धांत आश्रयित करता  
है:-

(क) अंतर्निहित गरिमा, व्यक्तिगत स्वायत्तता को लिए अंतर-समूहों के समान जीवन-व्यवस्था का  
साथ को समतल को स्वतंत्रता और श्रमकर्मों की स्वतंत्रता को है,

(ख) अविभेद;

(ग) समाज में पूरा और समान भागीदारी और सम्मिलित होना;

(घ) मानवीय विकास और समरूपता का अर्थ है साथ में दिव्यांगजनों का समाज का लिए अंतर  
और समतल बनाना

15 जून 2017  
21 Rules  
(41)2



3) किसी दिव्यांगजन के मातृ दिव्यांगता के आधार पर तब तक कोई भी विद्यालय/संस्थान/संघ/संघटन पर ध्यान नहीं दिया जाए कि आश्रयित कक्षा का लोप, (आश्रयित) संस्था का प्रत्यक्ष करने का अनुमान संभव है।

कोई व्यक्ति केवल दिव्यांगता के आधार पर उनको वैयक्तिक सहायता में जीवन नहीं दिया जाएगा।

4) समुचित सरकार/स्थानीय प्रधिकारी को तब तक सूचित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत न किया जाए।

4. (1) समुचित सरकार और स्थानीय प्रधिकारी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि दिव्यांग और बालक अन्य लोगों की भांति समान रूप में अपने अधिकारों का उपयोग करें।

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्रधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी दिव्यांग बालकों को उनको प्रभावित करने वाले सभी विषयों पर अपने दुष्टिकोण व्यक्त करने का किसी समान आधार पर अधिकार होगा और उनको आयु और दिव्यांगता को दृष्टि में रखते हुए उनको समुचित सहायता प्रदान की जाएगी।

5. (1) दिव्यांग व्यक्ति को समुदाय में जीने का अधिकार होगा।

समुदाय में जीने।

(2) समुचित सरकार यह प्रयास करेगी कि दिव्यांग व्यक्ति को—

(क) किसी विशिष्ट जीवन व्यवस्था में जीने के लिए बाध्य नहीं किया जाए; और

(ख) किसी ऐसे गृह, आवास की श्रेणी और अन्य समुदाय सहाय संस्थाओं में, जिनमें आयु और लिंग पर सम्यक् ध्यान देते हुए, जीवन को सहारे के लिए आवश्यक व्यक्तिगत सहायता सम्मिलित है, पहुंच प्रदान की गई है।

6. (1) समुचित सरकार, दिव्यांगजन को प्रस्तावित कर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के होने से संरक्षित करने के लिए उपाय करेगी।

कृपया और स्थानीय व्यवस्था में संरक्षित।

(2) कोई दिव्यांगजन,—

(i) समुदाय को पहुंच योग्य पद्धतियों, साधनों और रूपविधियों के माध्यम से अभिजात पत्रों, स्वतंत्र और सूचित सम्मति के बिना; और

(ii) समुचित सरकार द्वारा इन परियोजना के लिए विहित रीति से पंक्ति से कोई दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिए समिति की पूर्ण अनुमति, जिसमें भाषे से अन्यान्य सदस्य उसमें से या तो दिव्यांगजन पर धारा 2 के खंड (घ) के अधीन बंधावर्गित गैरसंयुक्त संगठनों के सदस्य होंगे, को होगा।

किसी अनुसंधान की प्रयोग वस्तु नहीं होगा।

7. (1) समुचित सरकार, दिव्यांगजनों को दुरुपयोग, त्रिसा और शोषण के सभी रूपों से संरक्षित करने के लिए उपाय करेगी और उनको रोकने के लिए बत,—

दुरुपयोग, त्रिसा और शोषण से संरक्षित।

(क) दुरुपयोग, त्रिसा और शोषण की घटनाओं का संज्ञान लेगी तथा ऐसी घटनाओं के विरुद्ध उपलब्ध विधिक उपचार उपलब्ध कराएगी;

(ख) ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उपाय करेगी और उनको रोकने के लिए प्राकृतिक विहित करेगी;

(ग) ऐसी घटनाओं के पीड़ितों का बचाव, संरक्षण और पुनर्वास करने के लिए उपाय करेगी; और

(घ) जागृति पैदा करेगी तथा जनता को सूचनाएं उपलब्ध कराएगी।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति या गैरसंयुक्त संगठन, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि दुरुपयोग, त्रिसा या शोषण का कोई कृत्य किसी दिव्यांगजन के विरुद्ध हुआ है या हो रहा है या एकदम किया जाने की संभावना है उसे यह लेने का पर्याप्त कारण है कि तुरंत ही संबंधित को विधिक अधिकारिक को स्थानीय सीमाओं के बाहर लेने पर ध्यान देना है उसके बाद में सूचना दे सकता है।

(3) कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऐसी सूचना को प्राप्त पर, पर्याप्त विचार करने के बाद उसे सूचित करेगा कि सूचना को संशोधित करने के लिए उचित उपाय करेगा। यह ऐसे दिव्यांगजन के संरक्षण के लिए ऐसा उपाय प्रदान करेगा।

सहायता के लिए  
प्रधिकारियों के  
सहायता

14. (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत को-ऑपरेटिव, सहकारी या अन्य प्रकार के संस्थानों में प्रयोग  
किया जाये कि जिनके अन्तर्गत या जिनके अन्तर्गत प्रयोग के अन्तर्गत को-ऑपरेटिव, सहकारी या अन्य प्रकार के संस्थानों  
में को-ऑपरेटिव प्रयोग करने के लिए आवश्यक प्रमाणों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रमाण पत्र प्रमाणित करने में  
आपत्तियों को हटाने में अनमर्त्य है नो जैसे अर्थात् को-ऑपरेटिव प्रयोग में को-ऑपरेटिव प्रयोग द्वारा विहित  
को-ऑपरेटिव प्रयोग में विहित रूप से आवश्यक विवरण देने के लिए प्रमाण पत्र प्रमाणित करने पर प्रमाण पत्र प्रमाणित  
करा जा सकेगा:

परन्तु अधिनियम, जिनका न्यायालय या अभिलेखित प्राधिकारी ऐसी सहायता की अपेक्षा करने वाले दिव्यांगजन  
के लिए पूर्ण सहायता प्रदान कर सकेंगे या जहां सीमित संरक्षकता द्वारा-आय प्रदाय को जारी है उन दिव्यांग में ही करने  
जाती सहायता को प्रकृति और सीते का अप्रक्षय करने के लिए, या जिनके सहायता को प्राप्त विनियमन का  
व्यवस्थापित, न्यायालय या अभिलेखित प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "सीमित संरक्षकता" से संयुक्त विनियमन की एक प्रणाली  
अर्थात् है जो संरक्षक और दिव्यांगजन को मध्य परस्परिक समझदारी और धर्म से प्रभावित है जो विनिर्देश  
अर्थात् और विनिर्देश विनियमन तथा नियंत्रण तक सीमित होगी और दिव्यांगजन को इच्छानुसार कार्य करेगा।

(2) इस अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से ही दिव्यांगजन के लिए सम्भव प्रयुक्त किसी विधि के  
किसी उपबंध के अधीन नियुक्त प्रत्येक संरक्षक को, सीमित संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए मजबूत लागू।

(3) किसी विधिक संरक्षक की नियुक्ति करने के, अभिलेखित प्राधिकारी के विनियमन द्वारा व्यर्थ कोई  
दिव्यांगजन ऐसे अपीलारी प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जिसे इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा  
अधिकृत किया जाय।

15. (1) समुचित सरकार दिव्यांगजनों के विधिक समर्थन के प्रयोग करने में उनकी सहायता करने के लिए,  
सहायता को गतिशील करने और सामाजिक जागरूकता सृजित करने के लिए एक या अधिक प्राधिकारियों को  
अधिकृत करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिलेखित प्राधिकारी संन्यास में रहने वाले और जिनके अधिक सहायता की  
आवश्यकता है दिव्यांगजनों द्वारा विधिक समर्थन के प्रयोग के लिए उपयुक्त सहायता संबंधी उद्योगों को स्थापना  
करने के लिए उपाय करेगा और कोई अन्य उपाय, जो अपेक्षित हो, करेगा।

अध्याय 3  
शिक्षा

16. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी प्रयत्न करेंगे कि उनके द्वारा सभी स्तरों पर व मान्यता प्राप्त  
शिक्षण संस्थानों, दिव्यांग धरतकों के लिए अभिलेखित शिक्षण प्रदान करें और उन संबंध में निम्नलिखित उपाय  
करेंगे—

(i) उन्हें जिन किसी विधेय के प्रवेश के लिए और अन्य व्यक्तियों के समान स्थान और आने-पहुंचे  
पाठ्यक्रमों के लिए अवसर प्रदान करना;

(ii) भवन, परिसर और विभिन्न सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना;

(iii) व्यक्तिगत अतिशुभों के अनुसार सुनिश्चित रूप सुविधा प्रदान करना

(iv) ऐसे वातावरण में, जो पूर्ण समावेशन के अर्थ में सीमा शैक्षणिक और सामाजिक व्यवस्था की  
सहायता प्रदान कर सकते हैं, व्यर्थतापूर्ण या अन्यथा आवश्यकता भावपूर्ण प्रदान करना;

(v) यह सुनिश्चित करना कि पूर्ण व्यक्तियों को जो अंध या अंधा या दूरी है, संयुक्तता की सहायता  
पाठ्यक्रमों और गतिशील तथा स्थानों में शिक्षण प्रदान करना;

(vi) शालाओं में विनिर्देशित विद्या दिव्यांगताओं का प्रयोजन प्रदान करना और उन पर कार्य करने के  
लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य प्रदान करना;

(vii) प्रत्येक संस्थाओं का के संबंध में शिक्षण के प्रदान करने और प्रदान के रूप में सहायता प्राधिकारी  
प्रदान को मान्यता प्रदान करना;

(viii) दिव्यांग कक्षाओं और अन्य सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग धरतकों को सहायता के  
लिए की सहायता सुनिश्चित प्रदान करना

सहायता के लिए  
प्रधिकारियों के  
सहायता

शिक्षण संस्थानों का  
कलेक्टर।

17. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा (1) के प्रावधानों को लागू किया जायता सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाये जायें।

समस्त कार्य को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाये जायें।

(क) दिव्यांग बालकों को प्रवेश करने के लिए सहायक प्रदान (आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए) और उचित परिणामों के संबंध में उचित कदम उठाये जायें। उचित कदम उठाये जायें। उचित कदम उठाये जायें।

संतुष्टता सर्वेक्षण इन अध्यायों के प्रारंभ की तारीख से दो वर्षों के अंतरालों पर किया जायता।

(ख) पर्याप्त संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना:

(ग) शिक्षकों को, जिसके अंतर्गत दिव्यांग अध्यापक भी हैं जो सांकेतिक भाषा और श्रवण में अक्षिप्त हैं और ऐसे शिक्षकों को भी, जो शैक्षिक रूप में दिव्यांग बालकों को अध्यापन में प्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षित और नियोजित करना:

(घ) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सम्मिलित शिक्षा में सहायता करने के लिए वृत्तियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना:

(ङ) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थाओं की सहायता के लिए परामर्श केंद्रों को पर्याप्त संख्या में स्थापित करना:

(च) वाक्शक्ति, संप्रेषण या भाषा दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को दैनिक संप्रेषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी स्तरों की वाक्शक्ति के उपयोग की अनुमति के लिए संशोधन, प्रकाश और सांकेतिक भाषा के साधनों और उपकरणों सहित समुचित संवर्धन और अनुकूलन प्रणालियों के प्रयोग का संवर्धन करना:

(छ) संदीर्घ दिव्यांग छात्रों को अठारह वर्ष की आयु तक पुस्तकों, अन्य विद्या सामग्री और समुचित सहायक युक्तियों निःशुल्क उपलब्ध कराना:

(ज) संदीर्घ दिव्यांग छात्रों के समुचित मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान करना:

(झ) दिव्यांग छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणालियों में उपयुक्त संशोधन करना जैसे परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अधिक समय, एक लिपिक या गणित का सुविधा, दूसरी और तीसरी भाषा के पाठ्यक्रमों से छूट:

(ञ) विद्या में सुधार के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना; और

(ट) कोई अन्य उपाय, जो अपेक्षित हो।

18. समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा शिक्षा में दिव्यांगजनों को सहायता को संशोधित, संशोधित और सुनिश्चित करने के लिए और अन्य व्यक्तियों के समान शिक्षा कार्यक्रम प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाये जायें।

अध्याय 4

कौशल विकास और नियोजन

19. (1) समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए नियोजन, विशेषकर उनके आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, को सुनिश्चित करने और उनमें सहायता करने के लिए, निम्नके अंतर्गत प्रावधानों को लागू करने के लिए उचित कदम उठाये जायें।

समस्त कार्य को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाये जायें।

(2) अध्याय (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों और कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल होंगे -

(क) सभी मुख्य भाग के औपचारिक और गैर-औपचारिक वृत्तों और अंतराल परीक्षण परीक्षा और पाठ्यक्रमों में दिव्यांगजनों को सम्मिलित किया जायें।









अध्याय 5

संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रवर्ग

संदर्भित दिव्यांग  
जनता के  
अधिकार

31. (1) निःशुल्क और आनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में संशोधन किया जाना के अलावा (2) संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत संघ, राज्य और संघीय प्रांत सरकारों द्वारा संघीय स्तर पर संघीय प्रवर्ग का किसी विशेष विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा।

उच्च शिक्षा संस्थाओं  
में आरक्षण।

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारों यह सुनिश्चित करेंगे कि संदर्भित प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को अलग-अलग वर्ष की आयु प्राप्त होने तक समुचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा की जाएगी।

32. (1) उच्च शिक्षा की सभी सरकारी संस्थाओं और सरकार से सहायता प्राप्त कर रही अन्य शिक्षा संस्थाओं में संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए कम से कम पांच प्रतिशत स्थानों को आरक्षित रखेंगे।

(2) उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक शिथिलता दी जाएगी।

आरक्षण के लिए  
पदों की पहचान।

33. समुचित सरकार,—

(i) स्थापन में ऐसे पदों की पहचान करेगी जिन्हें धारा 34 के उपबंधों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को बावत संदर्भित दिव्यांगजनों से संबंधित प्रवर्ग के व्यक्तियों द्वारा भरण किया जा सकता है;

(ii) ऐसे पदों की पहचान करने के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों को प्रतिनिधित्व के माध्यम से विशेष समिति का गठन करेगी;

(iii) पहचान गए पदों का तीन वर्षों से अतिरिक्त अंत्याल पर आवधिक पुनर्विचार करेगी।

आरक्षण।

34. (1) प्रत्येक समुचित सरकार, प्रत्येक सरकारी स्थापन में नियुक्ति के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों द्वारा भर जाने के लिए आरक्षित पदों के प्रत्येक समूह से प्रवर्ग में कुल रिक्तियों की संख्या का चार प्रतिशत संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित करेगी,—

(क) अंध और निम्न दृष्टि;

(ख) बधिर और श्रवणशक्ति में हानि;

(ग) चलन दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रामाणिक घात, शोथ, कुष्ठ, पीतामन, वैजाय आक्रमण के संचित और पेशीय दुष्प्रोषण भी है;

(घ) स्वारस्यता, बौद्धिक दिव्यांगता, निर्णय अधिमग्न दिव्यांगता और भाषात्मक अक्षमता;

(ङ) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पदों में कोई एक से अधिक पदों के अंतर्गत व्यक्तियों में से बहुदिव्यांगता जिसके अंतर्गत बधिर, पीतामन भी है;

परंतु यह कि प्रोन्सो में आरक्षण ऐसे अनुदेशों के अनुसार होगा जो समय-समय पर समुचित सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं;

यदि यह और कि समुचित सरकार, तथास्थान, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के समक्ष में किसी सरकारी स्थापन में जायें करने के प्रकार का ध्यान में रखते हुए अधिस्ताना धारा और प्रावधानों को अर्पित नहीं करेगा जो वे भी अधिस्ताना में निर्दिष्ट की जाएगी किसी सरकारी स्थापन को उन धारा के प्रावधानों से हटा प्रदान कर सकेगी।

(2) जहां कोई व्यक्ति किसी भी वर्ष में उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन का वि-उत्पन्नता की कारण या कोई अन्य पर्याप्त कारण से भरी नहीं जा सकेगी वेरी रिक्त परचानवर्ती धारा वर्ष में अंतर्गत होने और कोई परचानवर्ती धारा वर्ष में या उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन उत्पन्नता नहीं होता है जो परती एक पांच वर्षों में से अंतर्गत-उत्पन्नता धारा की संख्या और को प्राप्त उच्च उच्च वर्ष में या पांच के लिए उपयुक्तता परचानवर्ती धारा है जो उपयुक्तता एक ही दिव्यांगजन से अलग किसी व्यक्ति को नियुक्त द्वारा अक्षम को भर सकता है।















(ख) किसी दिव्यांगजन या समान अवस्था के अधीन या अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति को प्रत्येक अपराध के लिए दंडित करने से बचाया जाएगा।

(ग) किसी दिव्यांगजन या समान अवस्था के अधीन या अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति को प्रत्येक अपराध के लिए दंडित करने से बचाया जाएगा।

(घ) किसी दिव्यांग बालक या महिला का उच्च कोटी अधिग्रहण करने का प्रयास में कोई व्यक्ति को दंडित करने का उपयोग उनका लैंगिक रूप से शोषण करने के लिए किया जाएगा।

(ङ) किसी दिव्यांगजन के किसी अंग या इंद्रिय या मस्तिष्क क्षति के उपयोग में कोई व्यक्ति को दंडित करने से बचाया जाएगा।

(च) किसी दिव्यांग महिला पर कोई चिकित्सीय प्रक्रिया करनी है, उसका संयोजन करना है, किए जाने के लिए या निदेश करता है जिससे उसकी अभिव्यक्त सम्मति के बिना गर्भावस्था की समाप्ति होती है या समाप्त होने की संभावना है, निवाय उन मामलों में जहां रेगिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवस्थियों की राय लेकर दिव्यांगता के पंथीर मामलों में गर्भावस्था को समाप्त के लिए और दिव्यांग महिला के संरक्षक को सहमति से भी चिकित्सीय प्रक्रिया की गई है,

ऐसे कार्यक्रम से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा।

93. जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन किए गए किसी आदेश या निदेश के अधीन प्रसिद्धा, लेख्य या अन्य दस्तावेज पेश करने में या कोई विवरणों, जानकारी या विशिष्टताओं इस अधिनियम या इसके अधीन किए गए किसी आदेश या निदेश के उपबंधों के अनुसरण में पेश करने या देने या किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कर्तव्यबद्ध है, को पेश करने में अस्मफल रहता है वह प्रत्येक अपराध को यावत जुर्माने से दंडनीय होगा जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और चालू असफलता या इंकार को दण्ड में आदिष्ट जुर्माने में जो जुर्माने के दंड के अधिरोपण के मूल आदेश की तारीख के पश्चात् चालू असफलता या इंकार के लिए प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

किसी व्यक्ति को दंडित करने में अस्मफल रहने के लिए दंड।

94. कोई न्यायालय समुचित सरकार के पूर्वानुमोदन या इस विधि में इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को दण्ड फाइल किए गए किसी परिवार के निवाय, इस अध्याय के अधीन समुचित सरकार के किसी कर्मचारी द्वारा किए जाने के लिए अभिकथित किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

समुचित सरकार का विनिर्देश।

95. जहां इस अधिनियम के अधीन और किसी अन्य केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के भी अधीन कोई कार्य या कार्य किसी अपराध को गठित करता है तब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्भूत किसी बात को छोड़ कर जो ऐसे अपराध के लिए दोगो याया गया अपराधी केवल ऐसे अधिनियम के दंड के लिए धार्य होगा जो ऐसे दंड के लिए उपबंध करता है, जो कि विधियों में अधिक है।

अनुकरणे दंड।

अध्याय 17

प्रकीर्ण

96. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधिरोपण होने में कि अल्पीकरण में।

यदि अधिनियम का अर्थ ऐसा होगा कि...

97. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत सम्भाव्यपूर्वक को गई या की जाने के लिए प्राणित किसी बात के लिए कोई वाद, अधिरोपण या अन्य विधिक कार्यवाहियों समुचित सरकार या समुचित सरकार के किसी अधिकारी या मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त को किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

समुचित सरकार को अपराध के लिए दण्ड।

98. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में कोई व्यक्ति को दण्डित करने का प्रयास करने का प्रयास में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश से सकेगी जो दंडित करने के लिए अनिवार्य या समीचीन प्रमाण होते हैं, जो इस अधिनियम के उपबंधों से अस्मगत न हों,

समुचित सरकार को दंड।